राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 314/2023

सुर्य देव स्वामी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
3. तहसीलदार, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़।
4. देवीलाल, भू अभिलेख निरीक्षक कार्य.व्यव. नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.12.2021 के द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशिक्षु नायब तहसीलदार से नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय विजयनगर, गंगानगर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.08.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा 25 दिवस की अल्पावधि में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय विजयनगर, गंगानगर से नायब तहसीलदार उप तहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ में किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.08.2022 को उपस्थिति देने पर जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को नायब तहसीलदार, उप तहसील गोलूवाला में कार्यग्रहण कर अवगत कराने के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2022 को

उप तहसील गोलूवाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार उप तहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़ से नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय टिब्बी, हनुमानगढ़ निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय टिब्बी, हनुमानगढ़ से नायब तहसीलदार उप तहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ़ अपीलार्थी के स्थान पर बिना प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित के समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सात छः की अल्पावधि में तीन बार किया गया है, जबकि राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व नहीं किया जाना चाहिए, जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिकरण का उद्धरण देकर अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण पर स्थगन प्रदान किया है (अनुलग्नक–5 एवं 6)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–7) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ से कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय टिब्बी हनुमानगढ़ किया गया था। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 भू–अभिलेख निरीक्षक का पद धारित करता है, जबकि अपीलार्थी नायब तहसीलदार का पद धारित करता है। वर्तमान में अपीलार्थी उप तहसील गोलूवाला में नायब तहसीलदार के स्वीकृत पद पर कार्य कर रहा है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 भू–अभिलेख निरीक्षक का अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया जाना अनुचित एवं अवैध है। भू–अभिलेख निरीक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित किया जा सकता है परन्तु स्वीकृत नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत नायब तहसीलदार को हटाकर पदस्थापित किया जाना विधि विरूद्ध है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विजय लक्ष्मी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण उसके समान बताया है। अपीलार्थी की पत्नी वर्तमान में गर्भवती है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण 60 कि.मी. दूर किया जाना अनुचित है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर नायब तहसीलदार के पद पर उप तहसील गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, हनुमानगढ में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन भत्ते एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि सक्षम अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत अपने आदेश करने के विवेकाधिकार का उपयोग हेतु सक्षम है। अपीलार्थी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं रखता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने एस.सी.सक्सैना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य 2006 (9) एस.सी.सी. 538 एवं शिल्पी बॉस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि आदेशों के संदर्भ में न्यायालय के हस्तक्षेप की शक्तियां सिमित है, केवल दुर्भावना, मनमाना एवं नियमों के विपरीत आदेशों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में किये गये आदेशों में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलाथ्री के स्थानान्तरण आदेश राज्यहित में प्रशासनिक कारणों से जारी किए गए है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the

State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

इस प्रकार आलोच्य स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है इसमें किसी प्रकार की विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है इसलिए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)